

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./25/2023

1. गोपाल पुत्र प्रमु जाति रावत निवासी दौलतपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. सायर पुत्र बीरमा जाति रावत निवासी दौलतपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. न्याली देवी पत्नी उदा जाति रावत निवासी दौलतपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. बरमा पुत्र मंगला जाति रावत निवासी दौलतपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. भगवती पत्नी श्री रामदेव जाति रावत निवासी दौलतपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. शिवराज पुत्र सुखा जाति रावत निवासी दौलतपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण




निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-12.07.2024

1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा दौलतपुरा पटवार क्षेत्र छछुन्दरा भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 11 में दर्ज खसरा नं. 808/221 रकबा 0.48 कुल किता 01 कुल रकबा 0.48 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 06 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स


प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा के खाता संख्या 11 संवत 2074-2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थियों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा दौलतपुरा पटवार क्षेत्र छछुन्दरा भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 11 में दर्ज खसरा नं. 808/221 रकबा 0.48 कुल किता 01 कुल रकबा 0.48 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 500/- रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।




(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
मिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (केकड़ी)